न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, सहरसा।

राज्य।

अनुसूची 14– फारम संख्या 562,

बनाम

यमहा साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० NA चेचिस नं०
ME1RG4417H0018396 व आवासीय मकान

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

जिला– सहरसा,

केस संख्या–**365 / 2019–20**, राज्य बनाम यमहा साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० NA चेचिस नं० ME1RG4417H0018396 व आवासीय मकान

केस का प्रकार–बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियिम 2016, के तहत जप्त शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन के अधिहरण (confiscation) करने के संबंध में।

ओदश की क्रम संख्या एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टिप्पणी तिथि सहित।
1	2	3
	–:आदेश:– प्रस्तुत वाद की कार्यवाही का प्रारंभ अधीक्षक मद्य निषेध, सहरसा के पत्रांक 1611 / उत्पाद, दिनांक 23.12.2019 के आलोक में किया गया है। प्राप्त पत्र के साथ संलग्न प्रस्ताव उत्पाद विभाग द्वारा दर्ज विशेष वाद संख्या– 424 / 2019 में जप्त विदेशी शराब के विनष्टीकरण एवं जप्त वाहन यमहा साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० NA चेचिस नं० ME1RG4417H0018396 व आवासीय मकान के अधिहरण से संबंधित है। प्रस्ताव में अंकित घटना का स्थान– सौरबाजार, चंदौर, वार्ड नं० 01 एवं घटना की तिथि 03.09.19 के साथ वर्णित है कि– "गुप्त सूचना के आधार पर अपने अधीनस्थ उत्पाद बल प्रतिनियुक्त सैफ बल व बिहार गृह रक्षको के साथ उपर्युक्त स्थान, तिथि व समयानुसार उपस्थित गवाहो के समक्ष अपनी व अपने टीम के सदस्यों की जमातलाशी उपरांत छापामारी के क्रम में 110 लीटर अवैध मशालेदार देशी शराब एवं यमाहा FZ मोटरसाईकिल आवासीय मकान एवं मोटरसाईकिल से क्रमशः 350 पाउच एवं 200 पाउच बरामद हुआ। वि०म०नि० अधि० 2018 की धारा 30(a) के अन्तर्गत सारी कानूनी कारवाई घटनास्थल पर समपन्न की गई। जप्त प्रदर्श का नमूना तैयार किया गया। जप्ती सूची की एक प्रति अभियुक्त के दीवार पर चिपका दिया गया।" प्राप्त प्रस्ताव में उक्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए जप्त शराब के विनिष्टीकरण एवं जप्त अन्य सामग्रियों के अधिहरण करने हेतु अनुरोघ किया गया है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस वाद के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारभ कर जप्त शराब को अधिहरित करते हुए विनष्टीकरण का	

आदेश दिया गया। साथ ही यमहा साईकिल रजिस्ट्रेशन नं० NA चेचिस नं० व आवासीय मकान के अधिहरण के बिन्दु पर वाहन/मकान मालिक को अपना पक्ष रखने हेतु सूचना निर्गत किया गया।

वाहन मालिक मीरा देवी पति– स्व० यदुनंदन यादव उर्फ रधुनंदन यादव, साकिन– बेला कंचन टोला, वार्ड नं० 01, चन्दौर, थाना– सौरबाजार, जिला– सहरसा उपस्थित हुई। उनके ओर से दिनांक 24.07.2020 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया।

वाहन मालिक का कहना है कि जप्त मोटरसाईकिल रजिस्ट्रेशन नं० BR-19N-3135, इंजन संख्या– G3J3E0072461 एवं चेसिस संख्या– ME1RG4417H0018396 का प्रयोग अवैध शराब के परिवहन हेतु नहीं किया जा रहा था। माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा सी०डब्लू०जे०वाद संख्या– 21827/19, अन्तर्गत पारित आदेश में वाहन संबंधी मूल कागजात प्रस्तुत किये जाने पर वाहन को मुक्त किये जाने का आदेश दिया गया है। वे उक्त पारित आदेश के आलोक में सभी शर्तो को पूर्ण करने हेतु तैयार हैं।

वाहन मालिक के ओर से मुख्यतः इन्हीं तथ्यो के साथ सी०डब्लू०जे०सी० वाद संख्या 21827/2019 में पारित आदेश की वेब प्रति के साथ अपना आधार कार्ड, सेल सर्टिफिकेट एवं बीमा संबंधी कागजात की छायाप्रति दाखिल कर जप्त मोटरसाईकिल को मुक्त करने हेतु आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया।

राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) का कथन है कि चूँकि वाहन का प्रयोग शराब के अवैध परिवहंन में किया जा रहा था। अतः विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) द्वारा, अधीक्षक उत्पाद सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन/प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्य निषेध ओर उत्पाद अधिनियम 2016 के अन्तर्गत जप्त वाहन को अधिहरित किये जाने का अनुरोध किया गया।

वाहन मालिक के साथ राज्य के ओर से विशेष लोक अभियोजक (उत्पाद) को विस्तार से सुना। चूँकि जप्त वाहन का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में शराब के अवैध परिवहन में किया जा रहा था। अतः उक्त जप्त वाहन को अधिहरण करना न्यायोचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए जप्त मोटरसाईकिल चेचिस नं० ME1RG441 7H0018396 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिहरण किया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत् निलामी कर बिक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी,

	राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद सहरसा को भेजें। इसी के साथ अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं शुद्धिकृत Sd/- 24/8/2020 Sd/- 24/8/2020 समाहर्त्ता समाहर्त्ता सहरसा। सहरसा।	

ज्ञापांक ...383.........../न्याया०, सहरसा, दिनांक 31.........अगस्त, 2020।

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षक मद्यनिषेध, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

Sd/- 31.8.20

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा,
सहरसा।
31/08/20

जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी
एन० आई० सी०- सहरसा